

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 1992 सत्र

ऐनियक अगर्चं सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 1992 (फल्गुन 2, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कर्ता वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्डौर नगर की अनेक स्कूली छात्राओं का असामाजिक तत्त्वों द्वारा शोषण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, आरिफ अकील, सदस्य रायपुर नगर के गोल बाजार में अग्निकाण्ड से हुई क्षति की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के गांधी नार पुलिस चौकी के पास दुर्घटना से हुई चार व्यक्तियों की मृत्यु की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, मंदसीर जिले के ग्राम बुदा में महिलाओं के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य, सीहोर नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य योगिकी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री मदनलाल त्यागी, सदस्य सीहोर जिले के अनेक ज़ेत्रों में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम घुटवानी में हुई डैकेटी की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री राम बहादुर सिंह, सदस्य -

(क) जिला गुना विधान सभा क्षेत्र चौचौड़ा के ग्राम विजयपुर में कन्या प्रायमिक शाला खोले जाने, तथा
(ख) जिला गुना तहसील राघवगढ़ के ग्राम विजयपुर में पशु विकित्सालय खोले जाने,

(2) श्री देशराज सिंह, सदस्य -

(क) जिला गुना, विकास खण्ड चन्द्रेरी के ग्राम अमरौद में नलजल योजना प्रारंभ किए जाने, तथा
(ख) जिला गुना, विकासखण्ड मुंगावली के बेतवा नदी पर उद्धवहन पिपरिया मध्यम योजना को बजट में शामिल किये जाने, तथा
(ग) जिला गुना, विकासखण्ड मुंगावली के ग्राम पिपरई में हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य -

(क) जिला मंदसीर के ग्राम दलीदा चौपाटी में स्कूल, अस्पताल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने, तथा
(ख) जिला मंदसीर के तहसील सीलामऊ में पेयजल की योजना स्वीकृत करने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

4. राज्यपाल के अधिभाषण पर श्री तेजसिंह लोकव, सदस्य द्वारा
दिनांक 10 फरवरी 1992 की प्रस्तुत निष्पत्तिविलापन प्रस्ताव पर चर्चा - (ब्रह्मशह)

"राज्यपाल ने जो अधिभाषण किया उसके लिये मध्यप्रदेश जीव विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय प्रस्तुत करेंगे -

45 मिनिट "सदन का यह मत है कि देश में एक समान स्वीय संहिता (पर्सनल ला) अधिनियमित करने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध किया जाय".

(2) श्री जगदम्बा प्रसाद निराम, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

10 मिनिट "यह सदन केन्द्र शासन से अनुशंसा करता है कि विश्व विषयात पर्यटन केन्द्र खजुराहो को रेल मार्ग से जोड़ा जाय".

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मिनिट "सदन का यह मत है कि गांधी के समर्थन मूल्य में रूपये चार प्रति विवरण की वृद्धि की जाय"

(4) श्रीमती नेहा सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

20 मिनिट "सदन का यह मत है कि प्रवेश के प्रत्येक जिला एवं प्रमुख तहसील मुख्यालय पर महिला उद्यमियों हेतु आरक्षित बाजारों का निर्माण किया जाय".

(5) श्री ललित जैन, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मिनिट "सदन का यह मत है कि इन्डैर-उज्जैन-भोपाल के मध्य लीन गति की चक्रमित इंटरसिटी रेल सेवा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र शासन से अनुरोध किया जाय".

6. नियम ३२ के अधीन आदे अन्टे की चर्चा

दिनांक 9 दिसम्बर 1991 को राजस्व मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 48) के उत्तर से अद्भूत विषय पर श्री जगदम्बा प्रसाद निराम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

कृष्ण महता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:

दिनांक: 20 फरवरी, 1992